



सरकारी जापते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०)
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)संख्या 1860/रानि०आ०-२/2677/2019 देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2019
विषय— त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार की किसी भी सामग्री में प्लास्टिक एंव पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में प्लास्टिक एंव पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एंव ध्वनि प्रसारक यंत्र अथवा मुनादी से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा हैण्डबिल, पैम्फलेट व बैनर आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता / संख्या अवश्य अंकित हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कहने का भी निदेश हुआ है कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ उक्त आशय का शपथ-पत्र एंव निर्वाचन प्रतीक आवंटन के बाद भवन अथवा भवन की दीवार पर प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने/चर्चा किये जाने सम्बन्धी भवन स्वामी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष देना अनिवार्य होगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भक्तीय,
(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या /रानि०आ०-२/2677/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमार्यू मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या / राजनीति-2/2677/2019 दिनांक सितम्बर, 2019 का संलग्नक-1

प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराये जाने वाला शपथ-पत्र

निर्वाचन अधिकारी के समक्ष

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....पद के निर्वाचन के लिए
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष

निवासी.....जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञान सशपथ बयां करता/करती हूँ :-

कि मेरे द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में पॉलीथीन/प्लास्टिक
का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(शपथी)

सत्यापन

मैं उपर्युक्त शपथी एतद्द्वारा सत्यापित तथा घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में
उल्लिखित तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, इसका कोई भाग असत्य
नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है।

दिनांक.....सन.....को.....(स्थान) पर सत्यापित

(शपथी)

संख्या

/राजनीति-2/2677/2019 दिनांक

सितम्बर, 2019 का संलग्नक-2

प्रमाण-पत्र

(भवन स्वामी द्वारा स्वयं के भवन/भवन की दीवार पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने अथवा चस्पा करने हेतु दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

मैं (भवन स्वामी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति निवासी
भवन नम्बर एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति निवासी जो कि त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन हेतु वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम से पद के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहा/रही है, को अपने भवन/भवन की दीवार पर चुनाव प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने अथवा चस्पा करने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

(भवन स्वामी का नाम)

साक्षी

1. (क) नाम

2. (क) नाम

(ख) पिता/माता का नाम.....

(ख) पिता/माता का नाम.....

(ग) निवास.....

(ग) निवास.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

दिनांक



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०)
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

संख्या विषय— /रा०नि०आ०-२/२६७७/२०१९ देहरादून दिनांक १६ सितम्बर, २०१९
त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार की किसी भी सामग्री में प्लास्टिक एंव पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2019 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में प्लास्टिक एंव पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से एवं ध्वनि प्रसारक यंत्र अथवा मुनादी से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा हैण्डबिल, पैम्फलेट व बैनर आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता/संख्या अवश्य अंकित हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कहने का भी निदेश हुआ है कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ उक्त आशय का शपथ-पत्र एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन के बाद भवन अथवा भवन की दीवार पर प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने/चस्पा किये जाने सम्बन्धी भवन स्वामी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष देना अनिवार्य होगा।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या १६० /रा०नि०आ०-२/२६७७/२०१९ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या /राजनीति-2/2677/2019 दिनांक सितम्बर, 2019 का संलग्नक-1

प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराये जाने वाला शपथ-पत्र

निर्वाचन अधिकारी के समक्ष

निर्वाचन क्षेत्र से.....पद के निर्वाचन के लिए
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष

निवासी.....जो उपर्युक्त निर्वाचन में प्रत्याशी हूँ सत्यनिष्ठा से

प्रतिज्ञान सशपथ बयां करता/करती हूँ :-

कि मेरे द्वारा प्रसंगरत निर्वाचन में प्रचार-प्रसार हेतु निर्मित सामग्री में पॉलीथीन/प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(शपथी)

सत्यापन

मैं उपर्युक्त शपथी एतद्वारा सत्यापित तथा घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, इसका कोई भाग असत्य नहीं है और न ही कोई सारभूत तथ्य छिपाया गया है।

दिनांक.....सन्.....को.....(स्थान) पर सत्यापित

(शपथी)

प्रमाण-पत्र

(भवन स्वामी द्वारा स्वयं के भवन/भवन की दीवार पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार-प्रसार की विषयवस्तु लिखने अथवा चस्पा करने हेतु दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

मैं..... (भवन स्वामी का
नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति..... निवासी.....
भवन नम्बर..... एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती
हूँ कि मेरे द्वारा श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति.....
निवासी..... जो कि
त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन हेतु वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र
संख्या व नाम..... से पद के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन
में प्रतिभाग कर रहा/रही है, को अपने भवन/भवन की दीवार पर चुनाव प्रचार-प्रसार की
विषयवस्तु लिखने अथवा चस्पा करने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ।

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

(भवन स्वामी का नाम)

साक्षी

1. (क) नाम

2. (क) नाम

(ख) पिता/माता का नाम.....

(ख) पिता/माता का नाम.....

(ग) निवास.....

(ग) निवास.....

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

दिनांक